संख्या–883/ III (2)/08–55(एम0एल0ए0)/2007

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 28 मार्च, 2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 में राज्य योजना के अन्तर्गत 07 कार्यों के निर्माण की प्रशासकीय वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता स्तर–2 लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा के द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलब्ध कराये गये 07 कार्यों के आगणन लागत रू0 629.16 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 629.16 लाख (रूपये छः करोड उन्नतीस लाख सोलह हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणनों की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम–06 में अंकित रू0 0.05 लाख विवरणानुसार कुल रू0 0.35 लाख (रूपये पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियनानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

6. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नही होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नही किया जायेगा।

12. यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक–31.03.2008 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष मे जमा कर दिया जायेगा।

14. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

16. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय व्ययक मे लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सडके–आयोजनागत–800–अन्य व्यय –03 राज्य सेक्टर –02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

17. **यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–यू.ओ.–389/XXVII(2)/2008 दिनांक 25 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

संलग्नकः–07 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या– 883 (1)/III–2/08,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त कुमांऊ मण्डल नैनीताल ।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी नैनीताल।
4. मुख्य अभियन्ता स्तर–2 लो.नि.वि., अल्मोडा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वां वृत्त,लो0नि0वि0,नैनीताल ।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

शासनादेश संख्या–883/ III(2)/08–66 (एम.एल.ए.)/07 दिनांक 28 मार्च,2008 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र सं.	कार्य का नाम	लम्बाई	लागत	वित्त विभाग द्वारा आंकलित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2007–08 में व्यय की अनुमति
1	2	3	4	5	6
1.	लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह ज्योलीकोट से बेलुवाखाल मार्ग में सी0सी0 का कार्य।	0.800	16.00	16.00	0.05
2.	जनपद नैनीताल में बजून फगुनियांखेत मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4.00	140.00	140.00	0.05
3.	मंगोली खमारी थापला जलालगांव देचौरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7.00	245.00	245.00	0.05
4.	जनपद नैनीताल में हरीनगर चन्दादेवी मार्ग के किमी0 3.00 में खैरालागाड में 36 मी0 स्पान का लौह पुल का निर्माण कार्य।	36 मी0	107.56	107.56	0.05
5.	जनपद नैनीताल में जगलियागांव सलुवाताल मोटर मार्ग का विस्तार ।	1.00	35.00	35.00	0.05
6.	मूसाबंगर–बजुनियाहल्दु से फारेस्ट गेट तक मार्ग का निर्माण कार्य ।	1.20	33.60	33.60	0.05
7.	मूसाबंगर–तुषानवाड–पतलिया मार्ग के किमी02 से हत्थानवाड मार्ग का निर्माण पुलिया सहित ।	1.30 +6मी0 स्पान	52.00	52.00	0.05
	कुल योगः–		629.16	629.16	0.35

(रू0 पैंतीस हजार मात्र)

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।